# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible]

[illegible] पत्नि फरीद अहमद जाति मुसलमान निवासी तलाव पाडा बारां जिला बारां

....वादनी

♠ बनाम ♠

1. नूर मोहम्मद पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी करीम नगर वार्ड नं0 4 मांगरोल
2. अब्दुल सत्तार पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 17 लाडपुरा कर्बला कोटा
3. लाल मोहम्मद पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी मदार शाह की बाडी वार्ड नं0 5 मांगरोल
4. सईद अहमद पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी करीम नगर वार्ड नं0 4 मांगरोल
5. अब्दुल बारी पुत्र रजाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 13 मांगरोल
6. फरीद अहमद पुत्र रजाक जाति मुलसमान निवासी वार्ड नं0 17 लाडपुरा कर्बला कोटा
7. अब्दुल रहीम पुत्र वजीर जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 5 मांगरोल
8. मोहम्मद रमजान पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 7 मांगरोल
9. फातमा बाई बेवा मोहम्मद इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 7 मांगरोल
10. मुखतार अहमद पुत्र स्व0 सिराज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कोलोनी बारां
11. मेहबूब (साईकिल वाले) पुत्र स्व0 सिंराज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नयापुरा बारां
12. अल्ताफ हुसैन पुत्र यासीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कोलोनी बारां
13. नसीम बानो पत्नि असगर अली जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कोलोनी बारां
14. असगर अली पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान श्रमिक कोलोनी बारां
15. गायत्री बाई पत्नि जमना लाल जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तह0 मांगरोल
16. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188, 183 आरटी एक्ट</u>**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत

दायरा दिनांकः 04.04.2016 — निर्णय दिनांक : 27.03.2018

विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलदेवपुरा तहसील मांगरोल में खाते की आराजी स्थित है, जिसके खाता संख्या 60 खसरा नं0 95/0.14, 168/0.22, 260/0.10, 261/0.04,, 269/0.13, 332/0.07, 333/1.03, 370/1.22, 379/0.57, 449/0.86, 482/1.89, 484/0.08, 488/0.32, 627/1.05, 629/1.12 कुल किता 16 रकबा 9.97 है0 स्थित है जिसकी पुष्टी जमाबंदी संम्वत 2069 से 2072 से होती है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 रहमान के वारिसान है जिनका हिस्सा 1/8 नियत है तथा फातमा बेगम बेवा रहमान की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी कम 5 व 6 रजाक के वारिसान है जिनका हिस्सा 1/8 नियत है, प्रतिवादी कम 7 वजीर के वारिस है जिसका हिस्सा 1/8 नियत है तथा रहीमन बेवा वजीर की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी कम 8 व 9 इब्राहिम के वारिसान है उनका हिस्सा 1/8 नियत था जिसमें से प्रतिवादी 8 व 9 ने इन्तकाल नम्बर 191/सी दिनांक 05.07.2009 से अपना सम्पूर्ण खाते का 1/8 हिस्से में से 9/10 वां हिस्सा अर्थात सम्णूर्ण खाते में से 9/80 वा हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से विकय कर दिया है, इस तरह प्रतिवादी नं0 15 को 9/80 वां हिस्सा अर्थात 1.12 है0 विकय किया है, लेकिन प्रतिवादी कम 15 ने मिलीभगत करके खाते में 1/8 अर्थात 1.24 है0 दर्ज करवा लिया है, जो गलत है। प्रतिवादी नं0 10 ता 14 कादर बख्श पुत्र अलाबख्श के वारिसान है, और कादर बख्श का सम्पूर्ण खातें में 1/2 हिस्सा नियत था, जो उनकी मृत्यु के बाद सजरा के अनुसार प्रतिवादीगण को आराजी का हिस्सा मिला है, कादर बख्श के दो पुत्र यासीन मो0 व मोहम्मद अली थे। इस तरह यासीन मोहम्मद के वारिसान, सिराज मोहम्मद व अल्ताफ हुसैन है, जिनका हिस्सा प्रत्येक का 1/8 व 1/8 हिस्सा नियत था, इसमें से सिराज मोहम्मद की भी मृत्यु हो चुकी है, उनके पुत्र मुख्तार अहमद प्रतिवादी नं0 10 व महबूब प्रतिवादी नं0 11 है जिनको वाद में पक्षकार बनाया गया है, इस तरह दौनो का प्रत्येक का हिस्सा 1/16 नियत है। प्रतिवादी नं0 12 का 1/8 हिस्सा नियत है। मोहम्मद अली पुत्र कादर बख्श का सम्पूर्ण खाते में 1/4 हिस्सा निहित था, मोहम्मद अली की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में इकबाल हुसैन पुत्र, असगर अली पुत्र सईदा पुत्री, अज्जो बेवा (मृतक) छोडकर गये थे, जिनका नाम आराजी में मोहम्मद अली की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में खातेदारान की हैसियत से दर्ज होना था। वादनी भी मोहम्मद अली की जायज पुत्री हैं। उक्त वर्णित आराजी में वादनी का नाम स्व0 मोहम्मद अली की विरासत के अनुसार व स्व0 मोहम्मद अली की पुत्री होने से वादनी का हिस्सा 1/12 में दर्ज होना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी नं0 14 असगर अली व मृतक इकबाल हुसैन ने भू0–प्रबंध अधिकारियों से सांठ–गांठ कर सम्पूर्ण आराजी मोहम्मद अली की दौनो ने अपना नाम करवा लिया और भू–राजस्व विभाग ने अधिकारिता से परे कृत्य कर वादनी का नाम खाते से खारिज कर दिया है, जबकि वादनी का नाम भी इकबाल हुसैन व असगर अली के साथ खाते में दर्ज किया जाना चाहिये था। वादनी के 1/12 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नं0 13 व 14 ने नाजायज कब्जा कर रखा है। उस पर वह फसल

[illegible] वादनी को उसके हिस्से पर काश्त नही करने देता है। अतः वादनी की 1/12 [illegible] प्रतिवादी नं0 13 व 14 का कब्जा हटाकर कब्जा भी प्राप्त कर सकने की अधिकारणी [illegible] है कि ग्राम बलदेवपुरा तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 60 खसरा नं0 95/0.14, 136/1.13, 168/0.22, 260/0.10, 261/0.04, 269/0.13, 332/0.07, 333/1.03, 370/1.22, 379/0.57, 449/0.86, 482/1.89, 484/0.08, 488/0.32, 627/1.05, 629/1.12 कुल किता 16 रकबा 9.97 है0 में वादनी को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादनी का नाम बतौर खातें में दर्ज किया जावें। एवं ग्राम बलदेवपुरा तहसील मांगरोल की आराजी किता 16 रकबा 9.97 है0 में प्रतिवादी नं0 13 व 14 का हिस्सा 1/8–1/8 को दुरूस्त कर प्रतिवादी नं0 13 नसीम का हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी नं0 14 का हिस्सा 1/12 व वादनी का हिस्सा 1/12 दर्ज किया जावे व इसी अनुरूप हिस्सा विभाजित कर उन्हे खातेदार माना जाकर रिकार्ड आफ राइट्स में इसका अमल दरामद किया जावें।

इस आशय की वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड ए0डी सम्मन से तलब किया प्रतिवादी कम 1 ता 15 की ओर से ना तो स्वयं प्रतिवादीगण और ना ही किसी अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश किया अतः प्रतिवादी कम 1 ता 15 को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो, न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि वाद वादिया स्वीकार किया जाकर ग्राम बलदेवपुरा तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 60 खसरा नं0 95/0.14, 136/1.13, 168/0.22, 260/0.10, 261/0.04, 269/0.13, 332/0.07, 333/1.03, 370/1.22, 379/0.57, 449/0.86, 482/1.89, 484/0.08, 488/0.32, 627/1.05, 629/1.12 कुल किता 16 रकबा 9.97 है0 में वादनी को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादनी का नाम बतौर खातें में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया